

**क्षेत्रीय/जी,** पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10/10/25  
 मुताबिक जॉच की गई नया संख्या 748 में हुई तकनीकी भूटी से नया आर्षिके अर्थात् विभाजन का नामा दर्ज किया गया जिसमें आर्षिके मंजू पूर्व भाग का अलग से खाता दर्ज होने के बावजूद आर्षिके का नाम खाता 384 व 420 में दर्ज हो गया जबकि आर्षिके का अलग से खाता सं. 509 बना हुआ है। तब खसरा संख्या 48 रकबा 0.02 किलो-मीटर-चाह जो कि शासकीय खाता संख्या 508 में जाना भी लेकिन तकनीकी भूटीका खाता संख्या 384 में दर्ज हो गया। अतः खाता संख्या 384 व 420 में मंजू पूर्व भाग को धराया जाय तथा ख.स. 48 को खाता संख्या 384 में दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के तकनीकी भूटीका हुए डाटा की दुरुस्ती किया जाना उचित है।  
 1/10/25  
 IPR दिल्ली

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 पं. ए. की रिपोर्ट व भू-अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती की जाते की अभिशंका की जाती है।

2025  
 768  
 क्रमांक/450

ग्रामारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (पु. व.) नसीराबाद  
 दिनांक:- 27-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकाश में काल प्रकाश शक्ति	इन्द्राज	दुरुस्ती सिद्ध नहीं होने के कारण	प्रकाश शक्ति		मिटा जाया है

क्रमांक: 5838-39 दिनांक: 27-10-25  
 उपरिलिपि: - (1) TDR NSD  
 (2) आदेश प्रकाश

ग्रामारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

